न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 40/2025 — दायर दिनांक 03.03.2025
जीसीएमएस नं. 2025/40 — निर्णय दिनांक 15.07.2025

उनवान

1. श्रीमति निर्मला पत्नि स्व. वेलाराम मीणा
2. श्री दीपक पिता श्री स्व. वेलाराम मीणा
3. श्री कपिल पिता स्व. वेलाराम मीणा

निवासीयान भलुनगुडा हाल निवासी बडला खैरवाडा जिला डूँगरपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता मूलचंद कलाल निवासी बरोठी तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर
2. राजस्थान जरिये तहसीलदार बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर

– विपक्षीगण

निष्पादन– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित – 1. श्री देवनारायण मीणा, अधिवक्ता – अपीलाण्ट
2. श्री दिनेश चौबीसा, अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट्स

–:निर्णय:– दिनांक –15.07.2025

1 . प्रार्थीगण द्वारा निष्पादन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के मूल पुरूष स्वर्गीय श्री वेलाराम पिता श्री लच्छीराम द्वारा अपने स्वयं के कब्जे काश्त की भूमि पर विपक्षी संख्या 1 के द्वारा विपक्षी संख्या 2 के साथ मिलीभगत कर एवं स्थानीय अधिकारियों के साथ षडयंत्र व कूटरचना कर प्रार्थीगण के मूल पुरूष को अपने भूमि से बेदखल करने के लिए अवैध बल प्रयोग किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण के मूल पुरूष द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

बिछीवाडा जिला डूँगरपुर के समक्ष विपक्षीगण के विरूद्ध एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 183, 188 सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 पेश किया गया था , जिसमें दिनांक 06.12.2019 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादी / विपक्षी संख्या 1 को बेदखल करने का आदेश पारित कर आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी संख्या 2 को निर्देशित किया गया । प्रार्थीगण के मूल पुरूष स्वर्गीय श्री वेलाराम पिता श्री लच्छीराम के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण ही उनका उत्तराधिकारी है जो कि प्रार्थीगण को विरासती खातेदारी हक प्राप्त है। उक्त भूमि की साबिक आराजी संख्या 199 हाल खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.8800 हैक्टेयर हैं।

उक्त वर्णित भूमि का एकमात्र स्वामी व खातेदार केवल प्रार्थीगण के मूल पुरूष स्वर्गीय वेलाराम पिता श्री लच्छीराम था, जिसकी पुष्टि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा जिला डूँगरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 में संपुष्ट की गई और विपक्षी संख्या 01 को बेदखल कर उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी पुरूष स्वर्गीय वेलाराम को सुपूर्द करने, किंतु विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 से अनुचित लाभ प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना नही करवा कर अपने पद व शक्तियों का दुरूपयोग किया गया। प्रार्थीगण के मुलपुरूष श्री वेलाराम पिता श्री लच्छीराम का दिनांक 05.05.2021 को देहवासन हो जाने से और विपक्षी संख्या 2 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा जिला डूँगरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 की पालना नही करवाने से प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह निष्पादन याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के तहत पेश किया जाना नितांत आवश्यक हुआ है, जिसे स्वीकार फरमाया जाना विधिक एवं न्यायोचित है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निष्पादन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा जिला डूँगरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 की त्वरित पालना करवाने का आदेश प्रदान करावें।

2. पत्रावली दर्ज कि जाकर विपक्षीगण की तलबी की गयी। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चौबीसा द्वारा वकालत नामा व जवाब पेश किया।

3. विपक्षी स. 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र की कम संख्या 1 में अंकित किया गया विवरण में उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा के द्वारा आदेश दिनांक 06.12.2019 को पारित किये जाने का ज्ञान इस न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने पर हुआ है। प्रार्थीगण के द्वारा मिलीभगत कर प्रकरण का आदेश पारित करवाया गया हैं। प्रार्थीगण के द्वारा वाद पेश किया गया था। जिसमें विपक्षी ने जवाबदावा पेश किया गया था और प्रकरण विवाद्यक की रचना हेतु नियत था। विपक्षी को काफी तलाश करने के बाद भी प्रकरण की तारीख की जानकारी नही हुयी। विपक्षी

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

को प्रथम बार माननीय न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी हुई कि प्रकरण का दिनांक 06.12.2019 को निर्णय किया गया है। विपक्षी के द्वारा प्रतिलिपी प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि प्रकरण में विवाद्यक की रचना भी नही की गयी और किसी भी पक्षकार की साक्ष्य नही ली गयी है और आदेश पारित किया गया है और प्रकरण में डिक्री भी नही बनाई गयी है। जिसकी अपील विपक्षी की ओर से राजस्व अपील अधिकारी महोदय, उदयपुर कैम्प डूँगरपुर में प्रस्तुत की गयी है। श्री वेलाराम की मृत्यु होने की जानकारी विपक्षी को नही है। प्रार्थीगण की ओर से निष्पादन याचिका धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत की गयी है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद प्रस्तुत करने का प्रावधान है। निष्पादन की याचिका प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है। निष्पादन विधिक प्रावधानो के अनुसार डिक्री का होता हैं। इस प्रकरण में डिक्री ही नही बनाई गयी है। निष्पादन का प्रार्थना पत्र बिना डिक्री के विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा विचारण किये जाने योग्य नही है।

विपक्षी सं. 01 द्वारा अपने जवाब के साथ अतिरिक्त कथन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा के द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर प्रकरण का निस्तारण विपक्षी की पीठ पीछे किया गया है। जिसकी जानकारी विपक्षी को कभी भी नही हुयी। विपक्षी काफी दिनो तक प्रकरण की तारीख की तलाश मे रहा। जिसको तारीख की जानकारी ही नही हुयी। विपक्षी को प्रथम बार प्रकरण के निस्तारण माननीय न्यायालय के नोटिस प्राप्त होने पर हुयी। जिस प्रकरण में प्रतिलिपी प्राप्त कर विपक्षी ने राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर केम्प डूँगरपुर को प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है।

प्रार्थीगण की ओर से निष्पादन याचिका धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत की गयी है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद प्रस्तुत किया गया है ,इस धारा में निष्पादन का कोई प्रावधान ही नही है। विधिक प्रावधानो के अनुसार निष्पादन तो डिक्री का किया जाता है और इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री ही नही पारित की गयी है।

विधिक प्रावधानो के अनुसार जिस न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय किया जाता है और उसी निर्णय के आधार पर वही न्यायालय डिक्री विरचित करता है और वही न्यायालय डिक्री की पालना कराना सुनिश्चित करता है और करवाता है। इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा के द्वारा निर्णित किया गया है और इसी न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की जानी चाहिये थी और उपखण्ड अधिकारी विछीवाडा ही इस प्रकरण मे निर्णय तथा डिक्री की पालना करने में सक्षम है। माननीय न्यायालय को यह प्रार्थनापत्र की सुनवाई का किसी भी प्रकार से विधि के प्रावधानो के अनुसार सुनवाई करने का अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावे।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

4. अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की।

5. हमने पत्रावली में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी।

6. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विधि के अधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा जिला डूँगरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 09/2017 वेलाराम मीणा बनाम मोहनलाल कलाल में पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 की अनुपालना वावत निष्पादन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विछीवाडा जिला डूँगरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 09/2017 वेलाराम मीणा बनाम मोहनलाल कलाल में पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 को धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानुसार प्रकरण का संक्षिप्त विचारण कर आदेश पारित किया गया जो कि सरकारी अधिकारिक वेवसाईट पर ऑनलाईन आज दिनांक 27.06.2025 तक उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा कई वार संबंधित कार्यालय में दिनांक 06.12.2019 के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया किन्तु संबंधित अधिकारी द्वारा बार–बार यह वताकर कि इस नाम के प्रकरण की कोई फाईल/पत्रावली/प्रकरण कार्यालय में उपलब्ध नही है और प्रति उपलब्ध नही करवायी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सक्षम न्यायालय द्वारा निस्तारित प्रकरणों की ऑनलाईन प्रति को विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। अतएव, माननीय न्यायालय से सादरपूर्वक प्रार्थना है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा जिला डूँगरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 09/2017 वेलाराम मीणा वनाम मोहनलाल कलाल में पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 को धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानुसार प्रकरण का संक्षिप्त विचारण कर आदेश पारित किया गया है के आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाने और प्रार्थियो के सम्यक प्रयास के वावजूद प्राप्त नही होने से राजकीय अधिकारिक वेबसाईट पर ऑनलाईन उपलब्ध आदेश की प्रति को पत्रावली पर साक्ष्य के तौर पर न्यायहित में निष्पक्ष निर्णयन के लिए स्वीकार किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

7. विपक्षी की ओर से लिखित बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जिस विशेष विधि का उल्लेख किया गया है उस विधि के प्रावधानो का किसी भी प्रकार का उल्लेख नही किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रार्थीगण की ओर से यह निष्पादन का प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा आवेदनपत्र धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । इस विधि मे तो वाद प्रस्तुत का प्रावधान है और प्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

में वाद प्रस्तुत किया था। जिसका निर्णय दिनांक 06.12.2019 को पारित किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा जिला डूँगरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 09/2017 वेलाराम मीणा बनाम मोहनलाल कलाल में पारित आदेश के निर्णय पारित कर सम्यक जॉच कर अतिक्रमी मोहनलाल को बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण को सुपूर्द करने का आदेश पारित किया गया जिसकी पालना तहसीलदार बिछीवाडा द्वारा किया जाना है। जिसकी पालना नही की गयी है। जबकि न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 06.12.2019 में आदेश पारित किया गया है कि विवादित खसरा संख्या 199 ग्राम बिछीवाडा पर यदि प्रतिवादी मोहनलाल का कब्जा हो तो उसे बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सम्भलया जावे। उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा यह तय नही किया गया कि वादग्रस्त आराजी पर मोहन लाल के द्वारा अतिक्रमण किया गया है अथवा नही और इस आदेश की अनुपालना मे वाद मे न्यायालय द्वारा डिक्री ही विरचित की गयी और तहसीलदार को पालना हेतु ही लिखा गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के द्वारा अपनी लिखित कथन मे गलत तथ्यों को अंकित किया गया है। प्राथीगण की बहस में अंकित किया गया कि मूल प्रावधान 183 के विपरीत होने से अतिक्रमी का जवाब रेकार्ड पर नही लिया जा सकता है। जो कि विधि के द्वारा सुस्थापित सिद्धान्त, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत तथ्यों को उल्लेख किया गया है। प्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में जिस विधि के प्रावधानो का सहारा लिया गया है वह मुख्यतः पेसा एक्ट के अन्तर्गत पंचायत के प्रावधानो का सहारा लिया गया है। पेसा एक्ट का उद्देश्य अनुसूचित क्षैत्रो में ग्राम सभाओ के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना और जनजातिय समुदायो के पारम्परिक अधिकारों को मान्यता देना है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण शिक्षित है और स्व. श्री वेलाराम राजकीय सेवा मे था और उसके द्वारा यह भूमि क्रय की गयी है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि जितनी उसके द्वारा क्रय की गयी है, उस पर काबिज है। प्रार्थीगण की भूमि के पडौस में विपक्षी मोहन लाल के कब्जे की जमीन है। जिस पर वह काबिज होने व हडपने के आशय से प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के होने का लाभ उठाकर उस पर दबाव बनाकर छीन लेने के आशय से विभिन्न न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है।

विपक्षी को काफी तलाश करने के बाद भी प्रकरण की तारीख की जानकारी नही हुयी। विपक्षी को प्रथम बार माननीय न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी हुई कि प्रकरण का दिनांक 06.12.2019 को निर्णय किया गया है। विपक्षी के द्वारा प्रतिलिपी प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि प्रकरण में विवाद्यक की रचना भी नही की गयी और किसी भी पक्षकार की साक्ष्य नही ली गयी है और आदेश पारित किया गया है और प्रकरण में डिक्री भी नही बनाई गयी है। जिसकी अपील विपक्षी की ओर से राजस्व अपील अधिकारी महोदय, उदयपुर कैम्प डूँगरपुर में प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थीगण की ओर से निष्पादन याचिका धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत की गयी है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद प्रस्तुत करने का प्रावधान

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

है। निष्पादन की याचिका प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान है। निष्पादन विधिक प्रावधानो के अनुसार डिक्री का होता हैं। इस प्रकरण में डिक्री ही नही बनाई गयी है। निष्पादन का प्रार्थना पत्र बिना डिक्री के विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है और श्रीमान के समक्ष निष्पादन प्रार्थनापत्र के साथ निर्णय आदेश दिनांक 06.12.2019 की फोटो प्रतिलिपि पेश की है। विधिक प्रावधानो के अनुसार निष्पादन तो डिक्री का किया जाता है और इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री ही नही पारित की गयी है। विधिक प्रावधानो के अनुसार जिस न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय किया जाता है और उसी निर्णय के आधार पर वही न्यायालय डिक्री विरचित करता है और वही न्यायालय डिकी की पालना सुनिश्चित करता है और करवाता है। इस प्रकरण में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा के द्वारा निर्णित किया गया है और उसी न्यायालय द्वारा डिकी पारित की जानी चाहिये थी और उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा ही इस प्रकरण के निर्णय तथा डिकी की पालना करने में सक्षम है। माननीय न्यायालय को प्रार्थनापत्र की सुनवाई करने का किसी भी प्रकार से विधि के प्रावधानो के अनुसार अधिकार नही है। अतः प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय निरस्त करना फरमावे।

8. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण के पूर्वज श्री वेलाराम द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा जिला डूँगरपुर के समक्ष विपक्षी स. 01 के विरूद्ध वाद बाबत बेदखली ,स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 183, 188 सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 पेश किया गया था। इस *वाद की आदेशिका दिनांक 06.12.2019 अनुसार "विवादित आराजी खसरा न. 199 ग्राम बिछीवाडा पर यदि प्रतिवादी मोहनलाल का कब्जा होतो उसे बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को संभलाया जावें।"* वादग्रस्त आराजी के साविक नम्बर संख्या 199 हाल खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.8800 हैक्टेयर हैं।

प्रार्थीगण अनुसूची जनजाति (एस.टी.) संवर्ग से हैं। जबकि विपक्षी अन्य पिछडा वर्ग से हैं। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा में धारा 183,188 सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 पेश किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकि संबधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली की आदेशिका दिनांक 06.12.2019 की प्रति को पेश कर निर्णय के साक्ष्य के रूप में ग्रहित करने का निवेदन किया हैं।

विपक्षी द्वारा पेश जवाव व बहस अनुसार प्रकरण में विवाद्यक की रचना भी नही की गयी और किसी भी पक्षकार की साक्ष्य नही ली गयी है और आदेश पारित किया गया है और प्रकरण में डिक्री भी नही बनाई गयी है। *जिसकी अपील विपक्षी की ओर से राजस्व अपील अधिकारी महोदय, उदयपुर कैम्प डूँगरपुर में प्रस्तुत की गयी है।* प्रार्थीगण की ओर से निष्पादन याचिका

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत की गयी है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद प्रस्तुत करने का प्रावधान है। निष्पादन की याचिका प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान है। निष्पादन विधिक प्रावधानो के अनुसार डिक्री का होता हैं। इस प्रकरण में डिक्री ही नही बनाई गयी है। निष्पादन का प्रार्थना पत्र बिना डिक्री के विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है और न्यायालय के समक्ष निष्पादन प्रार्थनापत्र के साथ निर्णय आदेश दिनांक 06.12.2019 की फोटो प्रतिलिपि पेश की है। विधिक प्रावधानो के अनुसार निष्पादन तो डिक्री का किया जाता है और इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री ही नही पारित की गयी है। विधिक प्रावधानो के अनुसार जिस न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय किया जाता है और उसी निर्णय के आधार पर वही न्यायालय डिक्री विरचित करता है और वही न्यायालय डिकी की पालना सुनिश्चित करता है और करवाता है। *इस प्रकरण में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा के द्वारा निर्णित किया गया है और उसी न्यायालय द्वारा डिकी पारित की जानी चाहिये थी और उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा ही इस प्रकरण के निर्णय तथा डिकी की पालना करने में सक्षम है।* माननीय न्यायालय को प्रार्थनापत्र की सुनवाई करने का किसी भी प्रकार से विधि के प्रावधानो के अनुसार अधिकार नही है।

सी.पी.सी. के आदेश 21 नियम 10 व 11(2) के अनुसार डिकी धारक द्वारा डिकी के निष्पादन हेतु प्रार्थना पत्र डिकी पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उसके उपरान्त सी.पी.सी. के आदेश 21 नियम 17 के अनुसार सबंधित न्यायालय डिकी का निष्पादन करवायेगा। प्रार्थीगण द्वारा डिकी निष्पादन हेतु यह प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर(अपीलीय न्यायालय), डूंगरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया हैं। जबकि सी.पी.सी. के आदेश 21 नियम 10 व 11(2) के अनुसार डिकी धारक द्वारा डिकी के निष्पादन हेतु प्रार्थना पत्र डिकी पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हैं।

विपक्षी सं. 01 के द्वारा अपने जवाब में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा के निर्णय दिनांक 06.12.2019 के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की हैं, जो कि विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा द्वारा पारित आदेश के निष्पादन बाबत सुनवाई इस न्यायालय में किया जाना विधिक प्रावधान अनुसार विधिसंगत एवं न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निष्पादन– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं प्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है सी.पी.सी. के विधिक प्रावधान अनुसार सक्षम न्यायालय में डिकी निष्पादन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :–श्री दिनेश धाकड (आर.ए.एस.)
मु.नं. –40 / 2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 183 राज. काश्त. अधिनियम 1955
उनवान– निर्मला बनाम मोहनलाल

निर्णय आज दिनांक 15.07.25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर